उत्तरांचल सरकार
वित्त एवं व्यापार कर अनुभाग

संख्या– 52 / वि. व्या. कर / 2000
देहरादून, दिनांकः 26 दिसम्बर, 2000

विज्ञप्ति

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 31 मार्च , 2001 तक या उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार का स्थान रखने वाले व्यापारी द्वारा उत्तराचंल राज्य में शाखा खोलने के दिनांक तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, उत्तराचंल राज्य में कारोबार का स्थान रखने वाले व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कारोबार का स्थान रखने वाले किसी व्यापारी को ऐसे कारोबार के स्थान से उसके द्वारा ऐसे माल की बिक्री के सम्बन्ध में, जिसपर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि माल का विक्रय करने वाला व्यापारी उक्त अधिनियम संख्या 74 सन 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति प्रारूप 'ग' में घोषणा–पत्र या प्रारूप 'घ' में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दे, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई करदेय नहीं होगा।

ह0

(इन्दु कुमार पाण्डे)
वित्त सचिव

पत्रॉक / कमि0 व्या0 क0 दे0 दून / 2000–2001
कार्यालय कमिश्नर व्यापार कर
उत्तरांचल, देहरादून।

दिनांकः देहरादून 26–12–2000

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष / सदस्य व्यापार कर अधिकरण उत्तरांचल।
2– अपर आयुक्त व्यापार कर उत्तरांचल।
3– समस्त डिप्टी कमिश्नर / असि0 कमि0 व्यापार कर उत्तरांचल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह विज्ञप्ति की प्रति अपने क्षेत्र के समस्त व्यापारिक संगठनों / अधिवक्ता संगठनों को उपलब्ध करा दें।
4– समस्त व्यापार कर अधिकारी / व्या0 क0 अ0 श्रेणी–2 उत्तरांचल।

(बी0 सी0 चन्दोला)
कमिश्नर व्यापार कर
उत्तरांचल, देहरादून।